अंतिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, अजमेर

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर०ए०एस)

प्रकरण संख्या– 08 / 2021

जीसीएमएस– 2021 / 15

दायर दिनांक– 23.02.2021

निर्णय दिनांक– 20.05.2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. श्री जगदीश पुत्र अमरचन्द 2. श्री भंवरलाल पुत्र अमरचन्द समस्त जाति भांबी निवासी ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. श्री अमरचन्द पुत्र हजारी 2. रूकमा पत्नी अमरचन्द 3. रामलाल पुत्र हजारी जाति भांबी निवासी निवासी ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर। 4. विद्‌वान उप–पंजीयक, पुष्कर जिला अजमेर 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर 6. धर्मीचन्द पुत्र अमरचंद 7. सांवरलाल पुत्र अमरचंद 8. महेन्द्र पुत्र अमरचंद जाति भांबी निवासी गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

वादपत्र अंतर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति– **1.श्री मिठू सिंह रावत, वादीगण अभि0।**

2.पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार

3.श्री फिरोज मोहम्मद एवं जानी सिंह रावत प्रतिवादीगण, अभिवक्ता

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:13:04 IST
Reason: SelfAttested

20.5.22

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादीगण की सहखातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर में अवस्थित है जिसका विस्तृत वर्णन अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 के अनुसार निम्न प्रकार है:–

खाता संख्या		खसरा नंबर	रकबा (है0)	किस्म
नया	पुराना			
6	6	548	0.01	गै.मु.चाह
		549	1.92	चाही 2
		549/2750	0.01	गै.मु.चाह
योग		कुल किता 3	1.94 है0	

उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के दादा हजारी पुत्र भींवा की आवंटनशुदा खातेदारी, आराजीयात होकर वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी आराजीयात है तथा वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार खाता संख्या 6 खसरा नंबरान 548 रकबा 0.01, 549 रकबा 1.92, 549/2750 रकबा 0.01, पर अमरचन्द पुत्र हजारी हिस्सा 1/2, रामलाल पुत्र हजारी जाति भांबी हिस्सा 1/2 निहित है एवं संयुक्त खातेदार है। प्रतिवादी संख्या 1 अमरचन्द पुत्र हजारी द्वारा खसरा नं. 549 रकबा 1.92 में से 1/10 हिस्सा श्रीमती विनोद कुमारी पत्नी हरेन्द्र कुमार विशनावत के पक्ष में दिनांक 13.01.2021 को विक्रय किया गया। इस प्रकार कृषि भूमियों का विधिक विभाजन किया जाकर तदानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके पर पालना करवाये जाने तथा स्थाई निषेधाज्ञा आज्ञाप्ति पारित फरमाये जाने हेतु यह वाद–पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में प्रतिवादी संख्या 1, 2, 6, 7, 8 की ओर से दिनांक 24.03.2021 को श्री फिरोज मोहम्मद द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 23.04.2021 को उभयपक्ष अभिभाषक उपस्थित आये। श्रीमती विनोद कुमारी की ओर से प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपना पक्ष पेश किया। दिनांक 09.07.2021 को प्रतिवादी सं0 1, 2, 6, 7, 8 की ओर से अभिभाषक श्री जानी सिंह रावत द्वारा वकालतनामा पेश किया एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से वादी के पक्ष में इकबाली जवाब पेश किया। दिनांक 12.07.2021 को प्रतिवादी सं0 3 की ओर से अभिभाषक जानी सिंह रावत द्वारा वकालतनामा पेश किया। दिनांक 12.07.2021 को प्रतिवादी सं0 1 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:13:04 IST
Reason: SelfAttested

20.5.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

ओर से प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि मेरी कुल कृषि आराजी में से मेरे द्वारा श्रीमती विनोद कुमारी पत्नी नरेन्द्र कुमार निवासी किशनगढ़ के पक्ष में किये गये विक्रय भूमि के अलावा शेष कृषि आराजी भूमि का बंटवारा मेरे पुत्रों के बीच बराबर हिस्सों में कर दिया जावें। दिनांक 26.07.2021 को वादीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 एवं संशोधित वाद–पत्र पेश किया, साथ ही उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र आपसी राजीनामा पेश किया, जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के पक्ष में प्रस्तुत वादपत्र के आधार पर डिक्री फरमाने हेतु अपनी पूर्ण सहमति प्रदान की, जो शामिल मिसल किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 03.09.2022 को प्राथमिक डिक्री प्रदान की गई। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार पुष्कर द्वारा पत्रांक/तह.पु/2022/793 दिनांक 24.03.2022 के माध्यम से कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा रंग भरकर शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित बंटवारानामा की सूचना उभयपक्ष अभिभाषक को प्रदान कर पत्रावली को आवश्यक कार्यवाही/अंतिम बहस हेतु दिनांक 25.04.2022 को तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा तहसीलदार, पुष्कर द्वारा प्रस्तावित बंटवारानामा पर सहमति जाहिर कर अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ऐसी स्थिति में पक्षकारान अपने–अपने हक हिस्से का विभाजन अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अध्यधीन कराये जाने के अधिकारी है ऐसी स्थिति में वादीगण एवं प्रतिवादीगण (6 लगायत 8) के मध्य मौजा गनाहेड़ा पटवार हल्का गनाहेड़ा की आराजीयात खाता संख्या 1095 के खसरा नंबरान 3243/549 रकबा 0.04 हैक्ट0, 3244/549 रकबा 0.72 हैक्ट0 खातेदार श्री अमरचंद पुत्र हजारी हिस्सा पूर्ण जाति भांबी के नाम दर्ज है, का विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

इस प्रकार तहसीलदार पुष्कर के संलग्न नक्शा ट्रेस व मौका पर्चा (कुर्रेजात रिपोर्ट) अनुसार बने निम्न प्रकार के विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है :–

क्रम सं0	खातेदार का नाम	खसरा नं0	रकबा
1.	भंवरलाल पिता अमरचंद जाति भांबी	3244/1	0.1366
2.	जगदीश पिता अमरचंद जाति भांबी	3244/2	0.1366
3.	धर्मीचंद पिता अमरचंद जाति भांबी	3244/3	0.1366
4.	सांवरलाल पिता अमरचंद जाति भांबी	3244/4	0.1366
5.	महेंद्र पिता अमरचंद जाति भांबी	3244/5	0.1366
6.	महेंद्र, सांवरलाल, धर्मीचंद, जगदीश, भंवरलाल पिता अमरचंद जाति भांबी	3244/6 3243/549	0.04 0.04

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:12:04 IST
Reason: SelfAttested

20.5.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन बदस्तूर रखा जावें। संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उपरोक्त सारणी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करने के आदेश तहसीलदार पुष्कर को प्रदान किये जाते है। अंतिम डिक्री इसी कदर जारी हो।

निर्णय दिनांक 20.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

20.5.22

सुखाराम पिण्डेल
(आर0ए0एस)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:13:04 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, अजमेर

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या– 08 / 2021

जीसीएमएस– 2021 / 15

दायर दिनांक– 23.02.2021

निर्णय दिनांक– 20.05.2022

वादीगण

1. श्री जगदीश पुत्र अमरचन्द
2. श्री भंवरलाल पुत्र अमरचन्द

समस्त जाति भांबी निवासी ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. श्री अमरचन्द पुत्र हजारी
2. रूकमा पत्नी अमरचन्द
3. रामलाल पुत्र हजारी
   जाति भांबी निवासी निवासी ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
4. विद्वान उप–पंजीयक, पुष्कर जिला अजमेर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर
6. धर्मीचन्द पुत्र अमरचंद
7. सांवरलाल पुत्र अमरचंद
8. महेन्द्र पुत्र अमरचंद जाति भांबी निवासी गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

वादपत्र अंतर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति– **1.श्री मिठू सिंह रावत, वादीगण अभि0।**

2.पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार

3.श्री किराज [illegible] एवं जानी सिंह रावत, प्रतिवादीगण अधिवक्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:13:04 IST
Reason: SelfAttested

–:: अंतिम डिक्री ::–

वादीगण का वाद बाबत् बंटवाड़ा, उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा को सहमति–पत्र, संलग्न नक्शा ट्रेस व (कुर्रेजात रिपोर्ट) के आधार पर स्वीकार किया जाकर

20.5.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

अंतिम डिक्री जारी की जाती है। विभाजन आराजीयात को अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि राजस्व ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर के खाता संख्या 1095 के लिए विभाजन निम्नानुसार है–

क्रम सं0	खातेदार का नाम	खसरा नं0	रकबा
1.	भंवरलाल पिता अमरचंद जाति भांबी	3244 / 1	0.1366
2.	जगदीश पिता अमरचंद जाति भांबी	3244 / 2	0.1366
3.	धर्मीचंद पिता अमरचंद जाति भांबी	3244 / 3	0.1366
4.	सांवरलाल पिता अमरचंद जाति भांबी	3244 / 4	0.1366
5.	महेंद्र पिता अमरचंद जाति भांबी	3244 / 5	0.1366
6.	महेंद्र, सांवरलाल, धर्मीचंद, जगदीश, भंवरलाल पिता अमरचंद जाति भांबी	3244 / 6 3243 / 549	0.04 0.04

उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन बदस्तूर रखा जावें। संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उपरोक्त सारणी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करने के आदेश तहसीलदार पुष्कर को प्रदान किये जाते है। अंतिम डिक्री इसी कदर जारी हो।

निर्णय दिनांक 20.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

20.5.22

सुखाराम पिण्डेल
(आर0ए0एस)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:13:04 IST
Reason: SelfAttested